(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2018

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली, अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 1989 के अधिक्रमण में, जहां तक उनका संबंध ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।
   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में लेवलः** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में लेवल वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** - उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	8* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल-2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच। (आयु केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियम की जाएगी (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नहीं की जा रही हो, वहां आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
1. शैक्षिक योग्यता किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता; और अंग्रेजी में टंकण 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी में टंकण 30 शब्द प्रति मिनट (अनुमत्य समय - 10 मिनट) (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट का आशय प्रत्येक शब्द के लिए 5 बटन दबाने के औसत से 10500 केडीपीएच अथवा 9000 केडीपीएच से है)	आयु- नहीं शैक्षिक योग्यता- हां	दो वर्ष	(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा न हो, वहां "कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से" शब्दों को डिलीट किया जा सकता है। (ii) 10% रिक्तियां वेतन मेट्रिक्स में लेवल-1 के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष अर्हता रखते हों तथा जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 50 वर्ष) है। टिप्पण: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों से अधिक हो, तो उन अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके कर्मचारियों पर परवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जा सके। (iii) 5% रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल-1 के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
(i) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (ii) 10% रिक्तियां वेतन मेट्रिक्स में लेवल-1 के ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी जो 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष अर्हता रखते हों तथा जिन्होंने उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। परीक्षा के लिए पात्रता हेतु अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में 50 वर्ष) है। टिप्पण: यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या खंड (ii) के तहत उपलब्ध रिक्तियों से अधिक हो, तो उन अतिरिक्त कर्मचारियों पर आने वाले वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्ववर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके कर्मचारियों पर परवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जा सके। (iii) 5% रिक्तियां ऐसे समूह 'ग' कर्मचारियों में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी जिन्होंने वेतन मेट्रिक्स में लेवल के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो।	विभागीय पदोन्नति समिति 1. निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र- अध्यक्ष 2. प्रशासन अधिकारी- सदस्य 3. राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं होता।

[सं.ए.12018/17/2015-एमएच.।।]

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

रिंग रोड, नई दिल्ली *(कृपया राजपत्र अधिसूचना की एक प्रति इस मंत्रालय को भी भिजवा दी जाए)